कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, धनबाद।

(जिला नजारत शाखा)

–: निविदा की शर्तें :–

1. धनबाद परिसदन (नया एवं पुराना) तथा समाहरणालय धनबाद के लिए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा एक मुहर बंद लिफाफे में डालकर देना होगा। तकनीकी निविदा में पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।

तकनीकी निविदा की शर्तें :–

1. धनबाद परिसदन (नया एवं पुराना) तथा समाहरणालय धनबाद के लिए प्रत्येक निविदादाता को अपने निविदा के साथ उपायुक्त, धनबाद के पदनाम से 50.000.00 (पचास हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट के रूप में सुरक्षित जमा करना होगा।
2. वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम– 2017 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य में निबंधन प्रमाण पत्र देना होगा।
3. निविदादाता का नाम काली सूची में दर्ज नही होने का शपथ पत्र नोटरी पब्लिक का देना होगा।
4. अद्यतन आयकर रिटर्न विगत 3 (तीन) वर्षो का देना होगा।
5. उपायुक्त/आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
6. वित्तीय वर्ष– 2016–17 के दौरान इस प्रकार के रख–रखाव एवं संचालन से संबंधित 20,00,000.00 (बीस लाख) रूपये के कार्य पूर्ण कर लेन–देन किये जाने का प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को किसी संस्थान/प्रतिष्ठान से कैटरिंग, हाउस कीपिंग एवं साफ–सफाई का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा की शर्तें :–

1. धनबाद परिसदन (नया एवं पुराना) तथा समाहरणालय धनबाद के लिए निविदादाताओं को उपरोक्त सेवाएँ देने के एवज में मासिक/वार्षिक राशि QUOTE करना होगा।

उक्त निविदा हेतु आवश्यक शर्तें निम्नांकित है :–

1. धनबाद परिसदन (नया एवं पुराना) के आंतरिक साफ–सफाई जिसके अन्तर्गत कमरों, प्रसाधन गृहो, सहित पूरे परिसर की साफ–सफाई एवं धनबाद समाहरणालय में अवस्थित सभी कार्यालय शाखा, कोषांग,सभाकक्ष, भी0सी0रूम, बरामदा एवं जिला नियत्रंण कक्ष, आपदा कार्यालय, उपभोगक्ता फोरम, महिला हेल्प डेस्क तथा जिला गोपनीय शाखा धनबाद आंतरिक एवं बाहरी साफ–सफाई शामिल होगी। धनबाद समाहरणालय के पूरे परिसर का साफ–सफाई रखना आवश्यक है।
2. सफल निविदादाता अपने कर्मियों को यूनिफार्म (ड्रेस) में रखना सूनिश्चित करेंगे।
3. परिसदन (नया एवं पुराना) तथा धनबाद समाहरणालय में अवस्थित लॉन बगीचा में सिजनली फूल–पौधे लगाना है। साथ ही आवश्यकता अनुसार खाद, बीज, डालना एवं घास की कटाई करना होगा, तथा गार्डेन में अवस्थित झरने की साफ–सफाई एवं मरम्मति करना, सूखे गिरे हुए डाली को हटाकर परिसर को हर हाल में साफ रखना है।
4. धनबाद परिसदन (नया एवं पुराना) के लिए न्यूनतम स्वीपर की संख्या– 04, माली– 02, खानसामा– 03, वेटर– 04, हाउस किपिंग– 04, एवं धनबाद समाहरणालय के लिए न्यूनतम स्वीपर की संख्या– 07 रखना अनिर्वाय होगा। साथ ही भुगतान की प्रक्रिया झारखण्ड सरकार के निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए।
5. हाउस किपिंग के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य शामिल होंगे :–
   (क) जिला अतिथिगृह में लगे इलेक्ट्रोनिक विद्युतीय उपकरणो एवं जलापूर्ति का रख–रखाव, जैसे वाइरिंग स्वीच–बोर्ड, सी0एफ0एल0 लाईट, इन्भईटर, बेसिन, पानी पाईप अवश्यकता अनुसार नया/मरम्मति कार्य।
   (ख) अतिथिगृह, परिसदन भवन पुराना एवं नया भवन के कमरों सहित हॉल की साफ–सफाई तथा सम्पूर्ण परिसदन भवन में दरवाजा खिड़की एवं अन्य फर्नीचर, सोफा उपस्कर की मरम्मति, एवं पॉलिस, का कार्य।
   (ग) अतिथिगृहों में ठहरे हुए अतिथियों के लिए प्रसाधन की वस्तुएँ यथा–साबुन, तेल, शैम्पु, तौलिया की आपूर्ति करना होगा।
   (घ) बेडशीट, मच्छरदानी, ऑलआउट, पर्दा, तकिया, तौलिया इत्यादि की आपूर्ति (आवश्यकता अनुसार), सफाई एवं धुलाई।
   (ङ) परिसदन भवन नया एवं पुराना में लगे AC, पंखा, TV, गीजर, लाईट, मरम्मति एवं रख–रखाव।
6. निर्बाध विद्युत की व्यवस्था (जनरेटर ईंधन विपत्र का भुगतान/चालक एवं मरम्मति/रख–रखाव सहित सभी कार्य)। विद्युत विपत्र का भुगतान जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा।
7. स्थानीय निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
8. प्राप्त निविदा पत्रों में से जिस निविदादाता का दर न्यूनतम होगा, उसे धनबाद परिसदन में चाय, नास्ता एवं भोजन (शाकाहारी एवं मांसाहारी) की व्यवस्था करने हेतु आदेश निर्गत किया जाएगा।
9. मिनु से संबंधित प्रपत्र एवं अन्य कागजात प्राप्त करने हेतु जिला नजारत शाखा धनबाद में किसी भी कार्य दिवस के दिन सर्म्पक किया जा सकता है।
10. प्रथम लिफाफा में तकनीकी निविदा एवं द्वितीय लिफाफा में निविदादाताओं को उपरोक्त सेवाएँ देने के एवज में मासिक/वार्षिक राशि QUOTE करना होगा।
11. गुणवत्ता और स्वीकृत दर में आपूर्ति के दौरान किसी प्रकार की हेरा–फेरी या त्रुटि पाए जाने पर फर्म तथा प्रोपराईटर दोनों को काली सूची में डालते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
12. अतिथिगृह कमरों का आरक्षण पूर्ववत् जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। किराये से प्राप्त राशि सरकारी खजाने में जमा की जायेगी।
13. सभी तरह के कर का भुगतान निविदादाता के द्वारा किया जाएगा।
14. सफाई से संबंधित सभी सामग्री यथा झाड़ू, हीट, पोछा, वाइपर, फिनाईल, ओडोनील, हारपीक, ब्लीचिंग पाउडर, बाल्टी, जग, डस्टबीन, ग्लास डस्टर, क्लोथ डस्टर, झोल झारन, रूमस्प्रे, इत्यादि सफल निविदादाता के द्वारा आपूर्ति किया जाएगा।
15. निविदा स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने या सम्पूर्ण निविदा को रद्द या एक से अधिक आपूर्तिकर्त्ता को आदेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
16. उपायुक्त, धनबाद द्वारा औचक निरीक्षण के क्रम में कर्मियों की सख्या कम पाए जाने पर सफल निविदादाता पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
17. सफल निविदादाता को सम्पूर्ण राशि का छः माह के समतुल्य राशि का 10% के बराबर राशि अलग से जमानत के रूप में चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा, जिसे उपायुक्त, धनबाद के द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार कार्यो की समीक्षा उपरांत कार्य संतोष जनक पाये जाने पर उक्त राशि को वापस कर दिया जाएगा।

जिला नजारत उप–समाहर्त्ता, धनबाद।	अपर समाहर्त्ता, धनबाद।	उपायुक्त, धनबाद।